प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2015

विषय:- वेतन समिति, 2008 की राजकीय विभागों के अनुरेखक (ट्रेसर) तथा मानचित्रकार संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-3-2044/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 17-08-2010 द्वारा राजकीय विभागों के अनुरेखक (ट्रेसर) तथा मानचित्रकार संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये सामान्य निर्णय के क्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अनुरेखक (ट्रेसर) तथा मानचित्रकार के पदों पर निम्नानुसार संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 17 अगस्त, 2010 से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) अनुरेखक (ट्रेसर) के पदों पर वर्तमान में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800 के स्थान पर वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900 अनुमन्य कराया जाय।

(2) अनुरेखक (ट्रेसर) के पदों पर भर्ती हेतु वर्तमान में निर्धारित अर्हता कला विषय के साथ हाई स्कूल या समकक्ष के स्थान पर हाई स्कूल और आई0टी0आई0 (सिविल) प्रमाण पत्र की अर्हता निर्धारित की जाय।

(3) मानचित्रकार के पदों पर वर्तमान में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 के स्थान पर वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 अनुमन्य कराया जाय।

2- उक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे-आ0-2-841/दस-59एम/2009, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- उक्त व्यवस्था का समावेश करते हुये संशोधित सेवा नियमावली यथाशीघ्र प्रख्यपित करायी जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-1370/दस-2014, दिनांक 12-12-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 42/2015/ 549(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
4- वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in